झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

का॰ आ॰ सं॰:– 8/ज॰ स॰(नि॰) रांची– 19/2013:– रांची दिनांकः.–

आदेश

श्री रमेश कुमार चौधरी, तत्कालीन अवर सचिव, (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची सम्प्रति निलंबित को विभागीय आदेश सं॰ 7524 दिनांक 13.12.2013 यथा शुद्धि पत्र सं॰ 1374 दिनांक 17.12.2014 द्वारा संशोधित, द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय ज्ञापांक 807 दिनांक 29.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री रमेश कुमार चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री चौधरी को निलम्बन मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया हैः–

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(2) एक वर्ष तक प्रोन्नति में रोक।

(3) निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के अलावे कोई लाभ देय नहीं।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है। श्री चौधरी का पदस्थापना संबंधी कार्रवाई प्रबन्धन कोषांग द्वारा की जायेगी।

ह॰/-

(डा॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– 8/ज॰ स॰(नि॰) रांची– 19/2013:– 2619 रांची, दिनॉकः– 13-8-14

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, रांची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रांची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रांची/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, रांची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा– 2), जल संसाधन विभाग, रांची/ वेव मैनेजर, जल संसाधन विभाग, रांची/ श्री रमेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता (निलंबित), लघु सिंचाई प्रमंडल, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।